29.7.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 31.8.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

31.8.21

उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 8.10.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

24.11.21

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प ग्राम पंचायत नीम कारखेड़ा मे पेश हुई। मौका पर्चा को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी ने अपने प्रा-पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी सं. 505 रकबा 3.16 बीघा जो ग्राम नीम का खेड़ा पटवार हल्का दांता कला तहसील मांडल मे स्थित है, उक्त भूमि के खातेदार रामदयाल पिता कालूराम 1/2 तथा भंवरलाल राधेश्याम, लक्ष्मीलाल 1/2 का हिस्सा है, किन्तु दौराने भू प्रबन्ध प्रार्थी का नाम भूलवश अंकित नहीं किया गया जब कि भू-प्रबन्ध से पहले की जमाबंदी संख्या 68 संवत 2022 से 2025 तक मे उक्त आराजी के साबिक आराजी नं. 296 मे प्रार्थी का नाम अंकित था। इसी प्रकार प्रार्थी के नाम ग्राम माण्डल पटवार हल्का माण्डल तहसील मांडल के आराजी नं. 5259 मे प्रार्थी का नाम विपक्षीगण के साथ अंकित है। जो यह प्रमाणित करता है कि केवल मात्र लिपिकीय त्रुटि से प्रार्थी [illegible] दौरान इन्द्राज करना छूट [illegible] भू प्रबन्ध होने की जमाबंदियों मे सेटलमेंट मे हुई त्रुटियो को ही दुरुस्त की जाती है। जब कि प्रार्थी विपक्षी सं. 293 का सगा भाई होकर उसका नाम अंकित किया जाकर त्रुटि को दुरुस्त किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अफसर

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मैने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का अध्ययन किया तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किये जाने से यह प्रकट होता है कि विपक्षी भंवरलाल, राधेश्याम एव प्रार्थी लक्ष्मीलाल आपस मे सगे भाई होकर इनके पिता का नाम मिश्रीलाल है। तथा भू-प्रबन्ध के दौरान त्रुटिवश प्रार्थी का नाम नही लिखा गया जो एक लिपिकीय त्रुटि था मूलमात्र है। पैरोकार सरकार द्वारा भी अपने जवाब मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने मे कोई आपत्ति प्रकट नही की है। तथा स्वंय विपक्षी सं. 2,3 के जवाब से भी प्रार्थी उनका भाई होना प्रकट होता है। एव प्रशासन गांवो के संग अभियान कैम्प मे मौका पर्चा बनाया गया उसके द्वारा भी प्रार्थी विपक्षी सं. 2 व 3 का सगा भाई होना जाहिर किया ऐसी स्थिति मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नीम का खेड़ा पटवार हल्का दांतकला तहसील माडंल मे स्थित खाता सं. 125 मे आराजी नम्बर 505 रकबा 03 बीघा 16 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे सहखातेदार भंवरलाल, राधेश्याम के साथ-साथ लक्ष्मीलाल पिता मिश्रीलाल आगाल (महाजन) का नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांडल उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2022.01.06 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021